



RF-1517-2

111

1.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० प्र०

12004 अपील

A 1502-II/2004
श्री २००२-०३-०४-०५-०६-०७-०८-०९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

10 NOV 2004
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

1- नवाबसिंह पुत्र झोटेसिंह
2- केदारसिंह पुत्र रघुनाथसिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम किराँयन तहसील अम्बाह
जिला मुरेना ----- आकेंकण
विस्द

1- मध्य प्रदेश शासन
2- देवसिंह पुत्र चिमनसिंह
3- मुसो बिटोला विधवा पत्नी भारतसिंह
निवासीगण ग्राम ऊदलपुरा मौजा किराँयन
तहसील अम्बाह जिला मुरेना -- प्रत्यधीगण

बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्र० प्र०
2512001-2002 अपील में पारित आदेश दिनांक
25-9-2004 के विस्द अपील अन्तर्गत धारा-44(2)
मध्य प्रदेश मू राजस्व संहिता 1959.

90-99-2008

महोदय,

अपीलाधीगण निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत करते हैं :-

- (1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनियमित एवं मन्माने होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- (2) यह कि प्रकरण में विवादित मूमि पर अपीलाधीगण का वास्तविक आधिपत्य म० प्र० मू राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है। राजस्व अभिलेखों में अपीलाधीगण के आधिपत्य की प्रविष्टि वर्ष 1959-60 से निरन्तर चली आ रही है। ऐसी प्रविष्टि को निरस्त करने का बन्दोबस्त अधिकारी को

R/SK

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 1502-दो/04

जिला - मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील आयुक्त, बंदोवस्त म0प्र0 ग्वालियर के के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 25-9-2004 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम किरायच स्थित प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 हैं । इन पर पर आवेदक का इन्द्राज आधिपत्य कृषक के रूप में चला आ रहा है । बंदोवस्त अधिकारी एवं कलेक्टर मुरैना के प्रशासकीय आदेश दिनांक 29-9-96 के अनुसार कब्जा प्रविष्टि काट दी गई । उक्त आदेश की अपील पूर्व में अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील इस आधार पर निरस्त की कि अपीलांत को बंदोवस्त आयुक्त के यहां अपील करना चाहिए थी । उक्त आदेश के उपरांत अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो आयुक्त, बंदोवस्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त, बंदोवस्त के आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।</p> <p>3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित नहीं है । किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया जा सकता है । यदि अधीनस्थ न्यायालय बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को प्रशासनिक आदेश मानते थे तब उन्हें अपने प्रशासनिक अधिकारों</p>	

R
M

AM

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>का प्रयोग करना चाहिए था । उसके लिए पृथक से अपील की आवश्यकता नहीं है । अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारना न्यायदृष्टांत 1970 आर0एन0 591 एवं 1980 आर0एन0 321 का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि बंदोवस्त अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में दिनांक 29-6-96 को समस्त अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि वे बंदोवस्त अभिलेख में किसी भी अवस्था में कब्जा न लिखें और जो पूर्व में लिखे गये हैं वह 31.7.96 तक काट दें । उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासकीय आदेश मानते हुए संहिता की धारा 56 के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं माना है । और इस संबंध में उन्होंने 1966 आर0एन0 380 का हवाला देते हुए निगरानी को निरस्त किया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 1970 आर0एन0 591 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - भू-राजस्व संहिता, 1959 - धारा-44 तथा 56- आदेश - पत्र के रूप में दिया गया विवाद ग्रस्त बिंदु निर्णीत आदेश है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1980 आर0एन0 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 44 तथा 50 - नामांतरण</p>	

B
A


CM

4
XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 1502-दो/04

जिला - मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R /na	<p>होगा - ऐसे निर्देशों के विरुद्ध अपील तथा पुनरीक्षण ग्राह्य है । उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोषों पर करें ।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	